

प्रेस नोट

थाना आदमपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त दीपू कुमार वर्मा गिरफ्तार, कब्जे से 01 किग्रा 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद

दिनांक 01.02.2021 को थाना प्रभारी आदमपुर संतोष तिवारी मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में गोलगड्डा तिराहे पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति लाल रंग के झोले में तेलियाना से गोलगड्डा की तरफ आने वाली सड़क से पैदल गांजा लेकर आ रहा है, यदि जल्दी किया जाये तो पकड़ा जा सकता है। इस बात पर विश्वास कर थाना सारनाथ पुलिस द्वारा मुखबिर की निशानदेही पर उक्त स्थान से एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम व पता पूछा गया तो उसने अपना नाम दीपू कुमार वर्मा पुत्र मोहन लाल वर्मा निवासी सी 5/29 तेलियाना थाना चेतगंज जनपद वाराणसी बताया, जिसके कब्जे से 01 किग्रा 100 ग्राम नाजायज गांजा बरामद हुआ। उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध में थाना आदमपुर पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार/अभियुक्त का विवरण

- दीपू कुमार वर्मा उर्फ संदीप कुमार सेठ पुत्र मोहन लाल वर्मा निवासी सी 5/29 तेलियाना थाना चेतगंज वाराणसी

गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग-

- मु0अ0स0- 14/2021 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना आदमपुर वाराणसी ।

***बरामदगी का विवरण*-**

- बरामदगी 01 किग्रा 100 ग्राम नाजायज गांजा

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 संतोष तिवारी थाना प्रभारी, उ0नि0 राकेश मिश्र चौकी प्रभारी हनुमानफाटक, का0 धनजी सिंह, हे0का0 लाल बहादुर, हे0का0 लल्लन प्रसाद सिंह, हे0का0 मनोज मौर्या, का0 देवेन्द्र यादव थाना आदमपुर वाराणसी



प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक 01.02.2021 को थाना रोहनियां के उ0नि0 संजय राय चौकी प्रभारी गंगापुर मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर व स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सूचना दी गयी कि एक व्यक्ति को केशरीपुर पावर हाउस के पास चोरी की मोटरसाइकिल एवं मोबाइल के साथ ग्राम केसरीपुर के कुछ लोगों द्वारा पकड़ा गया है। उक्त सूचना पर चौकी प्रभारी गंगापुर मय हमराह मौके पर पहुंचे तो ग्रामीणों द्वारा पकड़े गये व्यक्ति से विधिक प्रक्रिया के तहत नाम पता पूछते हुये उसकी जामा तलाशी ली गयी तो उसने अपना नाम विक्रान्त गुप्ता पुत्र अमर चंद गुप्ता निवासी गोपाल दास नाग मंदिर थाना जगोड़ी छादा जिला सीधी (म0 प्र0) बताया जिसके कब्जे से चोरी की एक अदद मोटरसाइकिल पैशन एक्स प्रो न0 UP 70 EP 4082 रंग नीला/ काला व चोरी के दो अदद मोबाइल बरामद हुए। उक्त के संबंध में थाना रोहनियां पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण:

पकड़े गये व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि यह मोटरसाइकिल जो मेरे पास है इसे मैंने प्रयागराज से चुराया था स्थान मुझे याद नहीं है। बरामद दो अदद मोबाइल बरामद के संबंध में पूछा गया तो उक्त मोबाइल फोन चोरी का होना बताया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

1 - विक्रान्त गुप्ता पुत्र अमरचंद गुप्ता निवासी गोपालदास नाग मंदिर थाना जगोड़ीछोदा जिला सीधी (म0प्र0) उम्र करीब 27 वर्ष

बरामदगी का विवरण

1 - मोटर साइकिल पैशन एक्स प्रो न0 यू0पी0 70 EP 4082
2 - दो अदद मोबाइल

***गिरफ्तारी करने वाली टीम* -**

उ0नि0 संजय राय, का0 राममूरत यादव, का0 विकास वर्मा थाना रोहनियां जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

दिनांक 01/02/2021 को उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह चौकी प्रभारी नगवा थाना लंका वाराणसी मय हमराह देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में गोलगड्डा तिराहे पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि थाना लंका में पंजीकृत मु0अ0सं0 898/2020 धारा 419/420/467/468/471/506/386 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त मोटर साइकिल नं0 यूपी 63एसी 7312 से नुआव से नरिया की तरफ आ रहा है, यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। उक्त सूचना पर विश्वास कर थाना लंका पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के साथ बीएचयू नरिया गेट के पास पहुंचकर, मुखबिर की निशानदेही पर उक्त वाहन के साथ एक व्यक्ति को पकड़ा गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम प्रमोद कुमार दूबे पुत्र हरिश्चन्द्र दूबे निवासी ग्राम खमरिया डमूआ पोस्ट कलना थाना विन्ध्याचल जनपद मिर्जापुर बताया। उक्त के संबंध में थाना लंका पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ विवरण

पकड़े गये व्यक्ति ने पूछताछ में बताया कि जय शंकर चौबे से मैं विभिन्न विभिन्न नम्बरों से फोन कर हरिशंकर द्विवेदी, मो0यासीन, अलाउद्दीन व बकरुद्दीन बनकर लगभग 3 वर्षों में 84 लाख रुपये ले चुका हूं। मैं इनके सरकारी आवास शक्तिनगर जनपद सोनभद्र व पारिवारिक शादी समारोह में जिलाधिकारी फैजाबाद का लड़का बनकर सम्मिलित हुआ था तभी से मैं जय शंकर चौबे को बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड) की गैस एजेन्सी दिलाने के नाम पर तथा जान माल की धमकी देते हुए अभी तक 84 लाख रुपये ले चुका हूं। और भी पैसे लेने आया था कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। पैसे के सम्बन्ध में पूछताछ की गयी तो बताया कि 1) 25 लाख रुपये मैंने अपनी नौकरी के लिए दिये, 2) जमीन खरीदने के लिए 3 लाख रुपये एडवांस दिये, 3) सहारा बैंक में 10 लाख रुपये की एफडी करायी, 4) अपनी मोटर साइकिल होण्डा शाइन का लोन चुकाया, 5) एसबीआई में 4 लाख की एफडी करायी, 6) 1 लाख 84 हजार रुपये के दो एप्पल मोबाइल खरीदे, 7) वीवो का 22 हजार रुपये का मोबाइल खरीदा, 8) 5 लाख रुपये के गहने अपनी पत्नी के लिए खरीदे, 9) 10 लाख पुस्तैनी मकान बनाने में खर्च किया, 10) 15-20 लाख रुपये अपने पिता को दिया और शेष पैसा मैंने खर्च कर दिये।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण*-**

1. प्रमोद कुमार दूबे पुत्र हरिश्चन्द्र दूबे निवासी ग्राम खमरिया डमूआ पोस्ट कलना थाना विन्ध्याचल जनपद मिर्जापुर

पंजीकृत मुकदमे का विवरण

1.मु0अ0सं0 898/2020 धारा 419/420/467/468/471/506/386 भादवि थाना लंका वाराणसी

बरामदगी का विवरण

1. 3 अदद मोबाइल
2. 1 अदद बीपीसीएल का फर्जी टोकन पत्र
3. 1 अदद मोटर साइकिल नं0 यूपी 63एसी 7312

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

उ0नि0 श्रीप्रकाश सिंह चौकी प्रभारी नगवा, उ0नि0 शशि प्रताप सिंह, उ0नि0 उपेन्द्र यादव, हे0का0 बन्टी सिंह, हे0का0 वकील अहमद खां, का0 सुमीत सिंह, का0 विककी रजक, का0 शिव प्रकाश

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

आज दिनांक 02-02-2021 को पुलिस महानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व जिलाधिकारी वाराणसी द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस पर तहसील राजातालाब में जनता की समस्याओं को सुना गया एवं उनके त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-
policevaranasi

संख्या: पीआरओ 10/2021

दिनांक: फरवरी, 02/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 02.02.2021 को थाना लोहता में पंजीकृत मु0अ0सं0-92/2011 धारा-392/411 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्तगण सुरेन्द्र पटेल पुत्र लालजी निवासी पहाड़ी गेट थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी व इन्द्रसेन यादव उर्फ सूरज पुत्र सीताराम निवासी मड़ौली थाना मण्डुवाडीह जनपद वाराणसी को मानिट्रिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय ए.सी.सी.-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 7 वर्ष के कारावास व रू0-10,000/- अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-
policevaranasi

संख्या: पीआरओ 11/2021

दिनांक: फरवरी, 02/2021

प्रेस नोट

आज दिनांक 02-02-2021 को थाना शिवपुर के उ0नि0 विनोद कुमार पटेल मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन में थाना क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर मु0590 0सं0अ0/2020 धारा 363/366/504/7 भादवि व 506/ पाक्सो एक्ट 8में वांछित अभियुक्त आकाश पुत्र बब्लू को टैम्पो स्टैण्ड कांशीराम आवास के पास से समय करीब 08.35 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना शिवपुर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

- आकाश पुत्र बब्लू निवासी ब्लाक नं0 121कमरा नं0 5 मा0 कांशीराम आवास थाना शिवपुर वाराणसी उम्र-19 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- उ0नि0 विनोद कुमार पटेल, का0 राहुल कनौजिया व का0 शशिकान्त यादव थाना शिवपुर वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।



प्रेस नोट

***थाना जन्सा पुलिस द्वारा गैंगेस्टर के अभियुक्त मुलायम यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धन से क्रय की गयी रॉयल एनफील्ड बुलेट संख्या: यूपी-65 डीसी-9531 व टाटा मैजिक संख्या: यूपी-65 जीटी-2296, अनुमानित कीमत रु0-4,25,000/- की गैंगेस्ट एक्ट की धारा-14(1) के अन्तर्गत जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी*।**

थाना मिर्जामुराद में पंजीकृत मु०अ०सं०-302/18 उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधि० 1986 से संबंधित अभियुक्त मुलायम यादव पुत्र मंहगी यादव निवासी ग्राम भड़ांव थाना जन्सा वाराणसी एक शातिर किस्म का अपराधी है। अभियुक्त उपरोक्त अपराध जगत में सक्रिय रहकर अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों को आर्थिक एवं भौतिक लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। मुलायम यादव द्वारा आपराधिक कृत्यों से अर्जित धनराशि से एक रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटर साइकिल संख्या:यूपी-65 डीसी-9531 (अनुमानित कीमत रु0-1,00000/-) व एक टाटा मैजिक ACE वाहन संख्या:यूपी-65 जीटी-2296 (अनुमानित कीमत रु0-3,25000/-) को जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी के आदेश दिनांक 23.01.2021 के अनुपालन में आज दिनांक 02-02-2021 को थाना जन्सा पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगेस्टर एक्ट में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुर्क किया गया।

उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों वाहन क्रमशः थाना रोहनिया में पंजीकृत मु०अ०सं०-184/19 धारा- 41/411/413/414/307 भादवि व थाना मिर्जामुराद में पंजीकृत मु०अ०सं०-215/18 धारा- 41/411/413/414/380/307/394 भादवि व 60 आबकारी अधिनियम में पूर्व से दाखिल है।

जब्तीकरण के आदेश की प्रति अभियुक्त के पिता को तामील करायी गयी तथा इसकी मुनादी गांव में कराई गई।

आपराधिक इतिहास:-

1. मु०अ०सं०-217/2018 धारा-457/380/411 भादवि थाना जन्सा, वाराणसी।
2. मु०अ०सं०-181/2019 धारा-313/506/392 भादवि थाना जन्सा, वाराणसी।
3. मु०अ०सं०-245/2019 धारा-386/507 भादवि थाना जन्सा, वाराणसी।
4. मु०अ०सं०-93/2019 धारा-323/342/392/504/506 भादवि थाना शिवपुर, वाराणसी।
5. मु०अ०सं०-116/2019 धारा-457/380/411 भादवि थाना शिवपुर, वाराणसी।
6. मु०अ०सं०-126/2019 धारा-457/380/411 भादवि थाना शिवपुर, वाराणसी।
7. मु०अ०सं०-129/2019 धारा-457/380 भादवि थाना शिवपुर, वाराणसी।
8. मु०अ०सं०-142/2019 धारा-34/307 भादवि थाना शिवपुर, वाराणसी।
9. मु०अ०सं०-180/2019 धारा-3 (1) उ०प्र० गैंगेस्टर एक्ट थाना शिवपुर, वाराणसी।

10. मु0अ0सं0-184/2019 धारा-307/323/342/392/410/411/413/414/504/506 भादवि थाना शिवपुर, वाराणसी।
11. मु0अ0सं0-215/2018 धारा-41/411/413/414/380/307/394 भादवि व 60 आबकारी अधि0 थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
12. मु0अ0सं0-302/2018 धारा-3 (1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
13. मु0अ0सं0-161/2018 धारा-457/511 भादवि थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
14. मु0अ0सं0-192/2018 धारा-394 भादवि थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
15. मु0अ0सं0-336/2019 धारा-380/41/411/413/414/457 भादवि थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
16. मु0अ0सं0-325/2019 धारा-380/457 भादवि थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
17. मु0अ0सं0-331/2019 धारा-380/457 भादवि थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
18. मु0अ0सं0-259/2019 धारा-380/457 भादवि थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
19. मु0अ0सं0-240/2019 धारा-380/457 भादवि थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
20. मु0अ0सं0-244/2019 धारा-380/457 भादवि थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
21. मु0अ0सं0-324/2019 धारा-380/457 भादवि थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
22. मु0अ0सं0-103/2019 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
23. मु0अ0सं0-102/2019 धारा-307/411/413/414 भादवि थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
24. मु0अ0सं0-93/2019 धारा-323/342/392/504/506 भादवि थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
25. मु0अ0सं0-134/2018 धारा-380 भादवि थाना मिर्जामुराद, वाराणसी।
26. मु0अ0सं0-338/2018 धारा-457/380/411 भादवि थाना मण्डुवाडीह, वाराणसी।
27. मु0अ0सं0-140/2018 धारा-457/380/411 भादवि थाना लोहता, वाराणसी।
28. मु0अ0सं0-218/2019 धारा-380/411 भादवि थाना कपसेठी, वाराणसी।
29. मु0अ0सं0-161/2019 धारा-380/457 भादवि थाना कपसेठी, वाराणसी।
30. मु0अ0सं0-184/19 धारा- 41/411/413/414/307 भादवि थाना रोहनियां वाराणसी।
31. मु0अ0सं0-144/2020 धारा-392/411/120बी भादवि थाना केराकत, जौनपुर।
32. मु0अ0सं0-116/2020 धारा-392 भादवि थाना जलालपुर, जौनपुर।
33. मु0अ0सं0-121/2020 धारा-147/307/504 भादवि थाना जलालपुर, जौनपुर।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

प्रेस नोट

आज दिनांक 02-02-2021 को थाना रामनगर के उ0नि0 कालीदीन मय हमराह पुलिस बल के देखभाल क्षेत्र, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन/रात्रि गश्त में सूजाबाद चौकी के समीप सडक पर मौजूद थे, इसी दौरान बलराज सिंह पुत्र दरबारा सिंह निवासी 217/ए कुमार बाला मुहल्ला समानिया गेट पटियाला पंजाब व कुलवंत सिंह पुत्र शरायण सिंह निवासी मुरादपुर थाना तरण तारण जिला अमृतसर पंजाब द्वारा आकर सूचना दी गयी कि अवधूत आश्रम के पास हमारे ट्रक वाहन संख्या:पीबी-29 एन-9762 व पीबी-02 डीवी-6952 में कुछ व्यक्तियों द्वारा स्क्रेप लोड कराया गया है किन्तु स्क्रेप से सम्बन्धित कागज व बिल्टी नही दी जा रही हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्क्रेप चोरी का है। संदेह होने पर हम लोग किसी तरह चाय पीने का बहाना बना कर यहां आकर आप लोगों को सूचित कर रहे है। प्राप्त सूचना पर विश्वास कर उ0नि0 कालीदीन द्वारा मय हमराह पुलिस बल के अवधूत आश्रम के पास पहुँचकर स्क्रेप लदे ट्रक संख्या: पी0बी-29 एन-9762 में बैठे दो व्यक्तियों को पकड़ लिया गया।

पूछताछ विवरण-

पूछताछ के दौरान पकड़े गये व्यक्तियों ने बताया कि यह माल चोरी का है जिसको हम लोगों ने कुछ दिन पहले सोमा इण्टर प्राइजेज विभूती ग्लास फैक्ट्री हमीदपुर थाना क्षेत्र मुगलसराय चंदौली (जहां फैक्ट्री बन्द होने के कारण लोहे का स्क्रेप/कबाड पड़ा हुआ है) के परिसर से चोरी किया था। यह स्क्रेप हमने अपने साथियों राजागुप्ता पुत्र महेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी सूजाबाद थाना रामनगर वाराणसी, नगीना देवी पत्नी भवानी प्रताप सिंह निवासी हेसामपुर थाना अलीनगर चंदौली, शाकिर पुत्र अयूब कुरैशी निवासी पीलखाना गौरीगंज थाना भेलुपुर वाराणसी, गणेश गार्ड निवासी अज्ञात व राजा के 04 अन्य साथियों के साथ मिलकर चोरी किया है। आज गाड़ियों की व्यवस्था कर फर्जी कागजात बनवाकर इन ट्रक ड्राइवरों को धोखे में रखकर माल को गोविन्द गढ़ भेजने वाले थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना रामनगर पुलिस द्वारा अभियुक्तगण भवानी प्रताप सिंह व विजय कुमार गुप्ता को समय करीब 05.00 बजे गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- (1) भवानी प्रताप सिंह पुत्र श्री हंसनारायण सिंह निवासी ग्राम हेसामपुर पोस्ट वसन्त नगर थाना अलीनगर चंदौली।
- (2) विजय कुमार गुप्ता पुत्र महेन्द्र गुप्ता निवासी सूजाबाद पानी टंकी के पास थाना रामनगर वाराणसी ।

बरामदगी का विवरण-

1. - 15 टन स्क्रेप
2. - वाहन संख्या जाइलो यू0पी0-67 एफ- 3533

फरार अभियुक्तगण-

1. नगीना देवी पत्नी भवानी प्रताप सिंह निवासी हेसामपुर पोस्ट वसन्त नगर थाना अलीनगर चंदौली।
2. राजा गुप्ता पुत्र महेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी सूजाबाद पानी टंकी के पास थाना रामनगर वाराणसी।
3. शाकिर पुत्र अयूब कुरैशी निवासी पीलखाना गौरीगंज थाना भेलुपुर वाराणसी।
4. गणेश गार्ड पुत्र अज्ञात
5. 6 नफर अभियुक्तगण नाम-पता अज्ञात

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम:-

- उ०नि० कालीदीन, उ०नि० अरविन्द यादव- चौकी प्रभारी कस्बा, हे०का० मकसूदन राम, हे०का० रजनीश श्रीवास्तव, हे०का० ब्रह्मदेव सिंह व हे० का० प्रहलाद यादव-थाना रामनगर जनपद वाराणसी।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फ़ैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvn-s-up@nic.in, Facebook-
policevaranasi

संख्या: पीआरओ 14/2021

दिनांक: फरवरी, 02/2021

प्रेस नोट

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के निर्देशन में जनपद में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन हेतु चलाये जा रहे *“मिशन शक्ति”* अभियान के अन्तर्गत दिनांक 02.02.2021 को वाराणसी पुलिस द्वारा जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों के स्कूल/कॉलेज व सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं/बालिकाओं के बीच जाकर पोस्टर/बैनर/पम्पलेट/आडियो/विडियो क्लिप के माध्यम से सरकार द्वारा जारी हेल्पलाइन नम्बरों (112,1098,1090,181,1076,108,102) की जानकारी देकर जागरूक किया गया।

जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में मिशन शक्ति पुलिस टीम जागरूकता अभियान चलाते हुए 186 स्थानों पर प्रचार-प्रसार कर कुल 5571 महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया। मिशन शक्ति से सम्बन्धित 899 पर्चे वितरित किये गये। एण्टीरोमियो स्क्वाड द्वारा कुल 169 स्थानों पर भ्रमण/चेकिंग करते हुए कुल 1825

महिलाओं/बालिकाओं को जागरूक किया गया तथा शोहदों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 180 शोहदों से पूछताछ एवं सख्त हिदायत दी गई।

प्रभारी निरीक्षक
सोशल मीडिया सेल
जनपद वाराणसी।